न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर जिला चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी श्री महेश गगोरिया (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या : 44/2025
दायर दिनांक : 08/08/2025
निर्णय दिनांक : 13/10/2025

उनवान

1 कमलाबाई पत्नी स्व. मांगु बंजारा निवासी वाल्दियों का खेडा तहसील भूपालसागर
2 गोरू पिता बिहारी बंजारा निवासी वाल्दियों का खेडा तहसील भूपालसागर
3 झुमा पत्नि बिहारी बंजारा निवासी वाल्दियों का खेडा तहसील भूपालसागर
4 नाबालिग नारायण पिता मांगु बंजारा निवासी वाल्दियों का खेडा तहसील भूपालसागर
5 नाबालिग प्रिया पुत्री मांगु बंजारा निवासी वाल्दियों का खेडा तहसील भूपालसागर
6 विष्णु पिता मांगु बंजारा निवासी वाल्दियों का खेडा तहसील भूपालसागर

प्रार्थीगण

बनाम

1 परसराम पिता गंगाराम बंजारा निवासी पारीखेडा तहसील भूपालसागर
2 गोपीलाल पिता सोहन लाल बंजारा निवासी पारीखेडा तहसील भूपालसागर
3 बद्रीलाल पिता सोहन लाल बंजारा निवासी पारीखेडा तहसील भूपालसागर
4 भैरूलाल पिता रामलाल टांक निवासी पारीखेडा तहसील भूपालसागर
5 मिठूलाल पिता गंगाराम बंजारा निवासी पारीखेडा तहसील भूपालसागर
6 भैरूलाल पिता छोगा बंजारा निवासी पारीखेडा तहसील भूपालसागर
7 गौरू पिता केशा बंजारा निवासी पारीखेडा तहसील भूपालसागर
8 नारायणलाल पिता अमरचंद गुर्जर निवासी पारीखेडा तहसील भूपालसागर
9 मांगीलाल पिता दलीचंद जाट निवासी पारीखेडा तहसील भूपालसागर

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

: निर्णय :

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी की जाने हेतु इस न्यायालय में प्रस्तुत किया। पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थीगण संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 9 वाद सूचना अनुपस्थित होने से कार्यवाही एकतरफा की जाती है। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात अनुसार प्रार्थीगण रेकार्डेड खातेदार है। अतः प्रार्थना पत्र व रेकार्ड के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–128 एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी का स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार भूपालसागर को 500– रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि **ग्राम** वाल्दियों का खेडा **प0 ह0** पारी **तहसील भूपालसागर के हल्के बैरूनी के आ0न0 275 रकबा 0.47 है0 आ0न0 276 रकबा 0.43 है0 आ0न0 277 रकबा 0.24 है0 आ0न0 280 रकबा 0.03 है0 आ0न0 281 रकबा 0.40 है0 कुल खसरे 5 कुल क्षेत्रफल 1.57 है0** भूमि में उभयपक्षकारान को जरिये समन नोटिस तलब करवाकर अपने नेतृत्व में सीमांकन की टीम गठित कर चारों दिशाओं की पुख्ता पत्थरगढी की कार्यवाही करे। अगर मौके पर कोई विवाद न हो अथवा मौके पर फसल खड़ी न हो तो ही पत्थरगढी की जावे एवं कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट पेश करे। कमिश्नर फीस प्रार्थी से मौके पर प्राप्त करे साथ ही यह भी सुनिश्चित करे कि किसी भी न्यायालय में कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं हो। इस आशय बाबत तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 13/10/2025 को खुले न्यायालय में सुनवाया गया।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर, जिला–चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2025.10.16 09:33:01 IST
Reason: SelfAttested

(महेश गगोरिया)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर